CGRN070014002023
द.प्र.क्रं. – 1286/2023
संस्थित दिनांक –12.09.2023
अपराध क्रमांक – 240/2023

न्यायालय :– शैलेश कुमार वशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डोंगरगढ़, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)	
निर्णय दिनांक – 25.01.2024 संस्थित दिनांक –12.09.2023 द.प्र.क्रं. – 1286/2023 अपराध क्रमांक – 240/2023 थाना–छुरिया, जिला–राजनांदगाव	
अभियोजन	छ0ग0 राज्य द्वारा पुसिल चौकी चिचोला थाना– छुरिया, जिला–राजनांदगांव (छ0ग0)
अभियोजन द्वारा	श्री निखिल सुषमाकर ए.डी.पी.ओ.
अभियुक्त	बृजेश सिंह पिता स्व. मिलन सिंह, उम्र 37 वर्ष, साकिन–नारायणगढ़, ओ.पी. चिचोला थाना–छुरिया, जिला–राजनांदगाव (छ.ग.)
अभियुक्त द्वारा	श्री अशोक टेंभुरकर अधिवक्ता

फार्म–ई

घटना दिनांक	12.08.2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक	13.08.2023
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक	12.09.2023
अपराध विवरण दिनांक	21.11.2023
साक्ष्य प्रारंभ दिनांक	12.12.2023
निर्णय हेतु सुरक्षित रखे जाने की तिथि	25.01.2024
निर्णय दिनांक	25.01.2024
दण्डादेश दिनांक यदि हो तो	–

CGRN070014002023
द.प्र.कं. – 1286/2023
संस्थित दिनांक –12.09.2023
अपराध कमांक – 240/2023

अभियुक्त का विवरण

कं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	न्यायालय से जमानत पर रिहा किये जाने की तिथि	आरोप	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्धि	दण्डादेश	धारा 428 दं0प्र0सं0 के प्रयोजन हेतु अभिरक्षा
01.	बृजेश सिंह	12.08.2023	12.09.2023	34 (1)(क) छ.ग. आबकारी अधिनियम	दोषमुक्त	––	––

फार्म. एफ
अनुकमणिका

कं0	विवरण	पृष्ठ कमांक
1	निर्णय का शीर्षक	1
2	अधिवक्ता की उपस्थिति	1
3	आरोप	3
4	स्वीकृत तथ्य	_
5	अभियोजन कहानी	3-4
6	अभियुक्त कथन	4
7	विचारणीय प्रश्न	4
8	सकारण निष्कर्ष	5-9
9	दण्डादेश	--
10	संपत्ति का निराकरण	9
11	धारा 428 दं0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र	10
12	सजा वारंट	-
13	निर्णय की प्रति	1-10

CGRN070014002023
द.प्र.क्र. – 1286/2023
संस्थित दिनांक –12.09.2023
अपराध क्रमांक – 240/2023

–:: निर्णय ::–
(आज दिनांक 25.01.2024 को घोषित)

---

(1) अभियुक्त बृजेश सिंह के विरुद्ध यह अपराध है कि उसने दिनांक 12/08/2023 को समय 17:30 बजे, स्थान– सोमनी राईस मिल के पास, महाराजपुर, पुलिस चौकी चिचोला, थाना–छुरिया, जिला–राजनांदगांव क्षेत्रांर्तगत में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से अपने आधिपत्य में 16 पौवा देशी प्लेन शराब कुल (2.880 बल्क लीटर) को विक्रय करने के उद्देश्य से अपने आधिपत्य में रखा था।

(2) अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 19.07.2021 को पुलिस चौकी चिचोला प्रधान आरक्षक को मुखबीर से सूचना मिली कि सोमनी मिल, महाराजपुर के पास बृजेश सिंह नामक व्यक्ति अवैध रूप से शराब बिक्री कर रहा है। उक्त मुखबिर सूचना से हमराह स्टाफ मय गवाहान तामेश्वर पड़ोती एवं आकाश ठाकुर को मुखबीर सूचना से अवगत करा कर उन्हें गवाह बनने हेतु नोटिस दिया था। हमरॉह स्टॉफ मय गवहान को मौका स्थल से आरोपी बृजेश सिंह के कब्जे से एक थैले में रखा 16 पौवा देशी प्लेन शराब एवं 480 रूपये नगद को बरामद कर जप्त किया था। आरोपी को बरामदशुदा शराब के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु धारा 91 द.प्र.सं का नोटिस दिया था। आरोपी ने उसके पास कोई वैध कागजात नहीं होना व्यक्त किया। आरोपी के कब्जे से जप्तशुदा शराब में से 04 पौवा शराब को

परीक्षण हेतु पृथक कर सेंपल पंचनामा बनाया था। विवेचना के दौरान उसने गवाहो तामेश्वर पड़ोती एवं आकाश ठाकुर का बयान लेखबद्ध किया था। आरोपी के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर आरोपी को गवाहों के समक्ष विधिवत गिरफ्तार किया गया। आबकारी वृत्त, चिचोला को आरोपी के कब्जे से जप्तशुदा शराब का परीक्षण कर नतीजे से अवगत कराने बाबत् तहर्रीर लिखा था। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

(3) अभियुक्त के विरूद्ध धारा 34(1)(क) छ.ग. आबकारी अधिनियम के तहत अपराध विवरण विरचित कर पढकर, सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया, उनकी प्ली दर्ज की गई। प्रकरण में अभियुक्त का धारा 313 द.प्र.स. के अंर्तगत परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोश होना, झूठा फंसाये जाने एवं बचाव साक्ष्य नहीं देने का कथन किया।

(4) **<u>प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न–</u>**

(1) क्या अभियुक्त बृजेश सिंह ने दिनांक 12 / 08 / 2023 को समय 17:30 बजे, स्थान– सोमनी राईस मिल के पास, महाराजपुर, पुलिस चौकी चिचोला, थाना–छुरिया, जिला–राजनांदगांव क्षेत्रांर्तगत में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से अपने आधिपत्य में 16 पौवा देशी प्लेन शराब कुल (2.880 बल्क लीटर) को विक्रय करने के उद्देश्य से अपने आधिपत्य में रखा था ?

CGRN070014002023
द.प्र.क्रं. – 1286/2023
संस्थित दिनांक –12.09.2023
अपराध क्रमांक – 240/2023

सकारण निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क्र. 01

(5) अभियोजन साक्षी सहायक उपनिरीक्षक (अ.सा. 03) द्वारा यह कथन किया गया कि, दिनांक 19.07.2021 को पुलिस चौकी चिचोला में वह प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को मुखबीर से सूचना मिली कि सोमनी मिल, महाराजपुर के पास बृजेश सिंह नामक व्यक्ति अवैध रूप से शराब बिक्री कर रहा है। उक्त मुखबिर सूचना से हमराह स्टाफ मय गवाहान तामेश्वर पड़ोती एवं आकाश ठाकुर को मुखबीर सूचना (प्र.पी. 01) से अवगत करा कर उन्हें गवाह बनने हेतु धारा 160 द. प्र.सं का नोटिस (प्र.पी. 02) दिया था। उन्होंने हमरॉह स्टॉफ मय गवहान को मौका स्थल से आरोपी बृजेश सिंह के कब्जे से एक थैले में रखा 16 पौवा देशी प्लेन शराब एवं 480 रूपये नगद को बरामद कर बरामदगी पंचनामा (प्र.पी. 03) बनाया था। उन्होंने आरोपी को बरामदशुदा शराब के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु धारा 91 द.प्र.सं का नोटिस (प्र.पी. 10) दिया था। आरोपी ने मेरे पास कोई वैध कागजात नहीं है लिख कर ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर किया है।

(6) इसी साक्षी का आगे कथन है कि आरोपी बृजेश सिंह के कब्जे से गवाह के समक्ष एक थैले में रखा 16 पौवा देशी प्लेन शराब एवं 480 रूपये नगद को संपत्ति जप्ती पत्रक (प्र.पी. 04) के मुताबिक जप्त किया था। आरोपी के कब्जे से जप्तशुदा शराब में से 04 पौवा शराब को परीक्षण हेतु पृथक कर सेंपल पंचनामा (प्र.पी.

05) बनाया था। विवेचना के दौरान उसने गवाहो तामेश्वर पड़ोती एवं आकाश ठाकुर का बयान लेखबद्ध किया था। आरोपी के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर आरोपी को गवाहों के समक्ष उसे गिरफतार पत्रक (प्र.पी. 06) के मुताबिक विधिवत गिरफ्तार किया गया। उसने गवाहो के समक्ष घटना स्थल का नजरी नक्शा (प्र.पी. 07) तैयार किया था। उन्होने मौके पर ही अपराध कमांक 0/2023 धारा 34(1) आबकारी अधिनियम के विरूद्ध देहाती नालिसी (प्र.पी. 11) तैयार किया था। आबकारी वृत्त, चिचोला को आरोपी के कब्जे से जप्तशुदा शराब का परीक्षण कर नतीजे से अवगत कराने बाबत् तहर्रीर (प्र.पी. 13) लिखा था।

(7) स्वतंत्र साक्षीगण तामेश्वर पड़ोती (अ.सा.01) और आकाश ठाकुर (अ.सा. 02) द्वारा अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया गया है। उनके द्वारा उनके समक्ष सहायक उपनिरीक्षक (अ.सा.03) द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करना बताया गया। उनके द्वारा इस सुझाव से इन्कार किया गया है कि उनके समक्ष अभियुक्त से 16 पौवा देशी प्लेन शराब कुल (2.880 बल्क लीटर) को जप्त की गई थी।

(8) प्रकरण में आई साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में स्वतंत्र साक्षियों द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अभिलेख पर अभियुक्त के द्वारा मात्र अन्वेषण अधिकारी की साक्ष्य है जिसका सूक्ष्म विश्लेषण समीचीन है। इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **प्रदीप नारायण मदगोंदकर एवं अन्य विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य (1995) 4 एससीसी**

255 अवलोकनीय है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि "The Evidence of the officials (Police) witness can not be discarded merely on the ground that they belong to the police force and are, Either intrested in the investigation or the prosecuting agency but prudence dictates that their evidence needs to be subjected to strict scrutiny and as far as possible corrobation of their evidence in material particulars should be sought" .

(09) वर्तमान प्रकरण में सहायक उपनिरीक्षक (अ.सा. 03) द्वारा अभियुक्त बृजेश साहू के कब्जे से 16 पौवा देशी प्लेन शराब कुल (2.880 बल्क लीटर) बरामद कर जप्त होना बताया है। सहायक उपनिरीक्षक (अ.सा. 03) के द्वारा घटना दिनांक को गस्त के दौरान मुखबीर से सूचना प्राप्त होना बताया गया है परंतु उनके द्वारा उक्त संबंध मे उनके द्वारा रवानगी वापसी के संबंध में रोजनामचा सान्हा संलग्न की सत्यापित प्रति प्र.पी. 14 प्रकरण में पेश की गई है परंतु मूल रोजनामचा सान्हा से उक्त प्र.पी. 14 को प्रमाणित नहीं कराया गया है। जिस कारण से विवेचक कि घटना स्थल पर उपस्थिति संदेहास्पद हो जाती है। विवेचक के द्वारा जप्ती से पूर्व अपनी स्वंय की जामा तलाशी देने के संबंध मे जामा तलाशी पंचनामा तैयार नही किया गया है।

(10) विवेचना अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक (अ.सा.03) के द्वारा स्वतंत्र साक्षीगण तामेश्वर पड़ोती (अ.सा.01) और आकाश ठाकुर (अ.सा.02) के संपूर्ण अन्वेषण

कार्यवाही में मौका स्थल पर उपस्थित रहने एवं उनका कथन लेखबद्ध किये जाने का कथन किया गया है, किन्तु अन्वेषणकर्ता के उक्त अभिसाक्ष्य का समर्थन मौका स्थल के स्वतंत्र तामेश्वर पड़ोती (अ.सा.01) और आकाश ठाकुर (अ.सा.02) द्वारा नहीं किया गया है। अपितु उक्त दोनों साक्षीगण द्वारा उनके समक्ष कोई कार्यवाही नहीं होना बताया गया है, जो कि निश्चित ही अन्वेषण कार्यवाही को दूषित कर अभियोजन के कहानी पर संदेह उत्पन्न करता है।

(11) प्रकरण में जप्ती कार्यवाही के बिन्दु पर अभियोजन कहानी के स्वतंत्र साक्षीगण द्वारा समर्थन न करने से एवं अन्वेषणकर्ता की साक्ष्य में आयी कमियों से अभियोजन पक्ष अपने मामले के अंतर्गत अपने पक्ष को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है, तथा संपूर्ण साक्षी के पश्चात भी अभियुक्त के पक्ष में एक संदेह की स्थिति विद्यमान रह जाती है। जब एक ही अन्वेषण अधिकारी द्वारा संपूर्ण कार्यवाही की जाये और ऐसी कार्यवाही अधूरी हो, तब उनकी एकमात्र साक्षी के आधार पर अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उपरोक्त विवेचनक के आधार पर प्रकरण में यह तथ्य शंका से परे सिद्ध नहीं हो रहा है कि दिनांक 12/08/2023 को समय 17:30 बजे, स्थान– सोमनी राईस मिल के पास, महाराजपुर, पुलिस चौकी चिचोला, थाना–छुरिया, जिला–राजनांदगांव क्षेत्रांर्तगत में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से अपने आधिपत्य में 16 पौवा देशी प्लेन शराब कुल (2.880 बल्क लीटर) को विक्रय करने के उद्देश्य से अपने आधिपत्य में रखा था।

(12) अभियोजन पक्ष अपने मामले के अंतर्गत अभियुक्त **बृजेश सिंह** के आधिपत्य से शराब जप्त किये जाने के तथ्य को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त **बृजेश सिंह** को संदेह का लाभ प्रदत्त करते हुये अपराध अंतर्गत धारा 34(1) (क) छ.ग. आबकारी अधिनियम में **दोषमुक्त** कर स्वतंत्र किया जाता है।

(13) अभियुक्त के जमानत मुचलके उन्मुक्त किये जाते हैं। धारा 437 (क) द.प्र.सं. के उपबंध हेतु दी गई जमानत/मुचलका 6 माह तक प्रवत्त रहेंगे।

(14) प्रकरण में जप्त संपत्ति 16 पौवा देशी प्लेन शराब कुल (2.880 बल्क लीटर) अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में नष्ट किया जावे तथा जप्त रकम नकदी 480 रुपये शासन के पक्ष में अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में राजसात किया जावे। प्रकरण में अपील होने की दशा में जप्त संपत्ति का निराकरण माननीय अपिलिय न्यायालय के निर्णय अनुसार किया जावे।

(15) प्रकरण में अभियुक्त द्वारा बितायी गई अवधि हेतु पृथक से धारा 428 द.प्र.सं. का प्रमाण पत्र तैयार किया गया जो निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित दिनांकित कर घोषित किया गया।

सही/–
(शैलेश कुमार वशिष्ट)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
डोंगरगढ़,जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

मेरे निर्देश पर टंकित।

सही/–
(शैलेश कुमार वशिष्ट)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
डोंगरगढ़,जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

CGRN070014002023
द.प्र.कं. — 1286/2023
संस्थित दिनांक —12.09.2023
अपराध कमांक — 240/2023

(निरोध—अवधि तालिका अंतर्गत धारा 428 दं.प्र.सं.)

अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	न्यायालय से जमानत दिनांक	पुलिस— अभिरक्षा की अवधि	न्यायिक— अभिरक्षा की अवधि	निरोध में बितायी गयी कुल अवधि	परिणाम एवं समायोजित अवधि
बृजेश सिंह	12.08.2023	12.09.2023	निरंक	निरंक	निरंक	दोषमुक्त

स्थानः— डोंगरगढ़

दिनांकः—25/01/2024

सही/—

(शैलेश कुमार वशिष्ट)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
डोंगरगढ़,जिला राजनांदगांव (छ.ग.)